किशनलाल बनाम शीतल प्रकाश

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 16/288

27.01.2023	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कम 01 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वाद संख्या 01/2012 बउनवान शीतल प्रकाश बनाम काशीराम में पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिकी दिनांक 04.12.2014 व अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 02.01.2015 के विरूद्ध दो पृथक–पृथक अपीलें न्यायाल में प्रस्तुत की गई थी जिनका अपील संख्या 10/2015 एवं अपील संख्या 15/2015 है । माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों विचाराधीन अपीलों में अप्रार्थी संख्या 01 की तलबी के उपरान्त दिनांक 27.01.2015 को प्रार्थी व अप्रार्थी कम 01 की बहस सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश पारित किया । जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 04.12.2014 एवं अंतिम डिकी दिनांक 02.01.2015 की पालना आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.02.2015 तक स्थगित रखी जाती है । अप्रार्थी कम 01 को उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद अप्रार्थी कम 01 ने उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त आराजी में से 1/12 हिस्सा भूमि का गुपचुप तरीके से स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद दिनांक 28.09.2015 को महावीर मीना आत्मज छीतरलाल मीणा को बेचान पर पंजीयन करवा दिया । उक्त बेचान अवैध एवं गैर कानूनी तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित एवं प्रभावशील स्थगन आदेश की अवहेलना है । अप्रार्थी कम 01 माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना किये जाने का दोषी है जिसके लिये अप्रार्थी कम 01 को सजायाब किया जाना अति आवश्यक एवं विधि संगत है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा में स्थित है । अप्रार्थी कम 1व 2 तहसील लाडपुरा में बतौर तहसीलदार व पटवारी पदस्थापित हैं । उन्हें उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानकारी रही है । अप्रार्थीगण द्वारा आपस में मिली भगत कर षडयंत्रपूर्वक तरीके से जानबूझकर खुले तौर पर स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है जिसके लिए दोषी अप्रार्थीगण जिम्मेदार है जिन्हें नियमानुसर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे । अप्रार्थी कम 01 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी कम 01 द्वारा विधिक रूप से महावीर मीणा आत्मज छीतर लाल मीणा के पक्ष में विकय पत्र का पंजीयन कराया गया है । कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के संदर्भ में सुनवाई का श्रवणाधिकार केवल मात्र राजस्थान उच्च न्यायालय को है । इसके अतिरिक्त आदेश की अवहेलना हेतु प्रार्थना पत्र भी

केवल विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, अपीलीय न्यायालय को आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थी का अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

अवमानना प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अवमानना प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कम 01 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वाद संख्या 01/2012 बउनवान शीतल प्रकाश बनाम काशीराम में पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.12.2014 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.2015 के विरूद्ध दो पृथक–पृथक अपीलें न्यायाल में प्रस्तुत की गई थी जिनका अपील संख्या 10/2015 एवं अपील संख्या 15/2015 है । माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों विचाराधीन अपीलों में अप्रार्थी संख्या 01 की तलबी के उपरान्त दिनांक 27.01.2015 को प्रार्थी व अप्रार्थी कम 01 की बहस सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश पारित किया । जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.01.2015 की पालना आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.02.2015 तक स्थगित रखी जाती है । अप्रार्थी कम 01 को उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद अप्रार्थी कम 01 ने उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त आराजी में से 1/12 हिस्सा भूमि का गुपचुप तरीके से स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद दिनांक 28.09.2015 को महावीर मीना आत्मज छीतरलाल मीणा को बेचान पर पंजीयन करवा दिया । उक्त बेचान अवैध एवं गैर कानूनी तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित एवं प्रभावशील स्थगन आदेश की अवहेलना है । अप्रार्थी कम 01 माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना किये जाने का दोषी है जिसके लिये अप्रार्थी कम 01 को सजायाब किया जाना अति आवश्यक एवं विधि संगत है । अप्रार्थी कम 2 व 3 राजस्थान के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी हैं । राजस्थान सरकार प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपीलों में पक्षकार हैं तथा जरिये प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित हैं । वादग्रस्त आराजी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा में स्थित है । अप्रार्थी कम 1 व 2 तहसील लाडपुरा में बतौर तहसीलदार व पटवारी पदस्थापित हैं । अप्रार्थी कम 2व 3 ने अप्रार्थी कम 01 से मिलीभगत करते हुए उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद उक्त विक्रय दिनांक दिनांक 28.09.2015 के आधार पर उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 722 दिनांक 12.10.2015 को केता महावीर मीना आत्मज छीतर लाल मीना के नाम तस्दीक कर दिया जो पूर्णतया अवैध एवं गैर कानूनी है । उन्हें उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानकारी रही है । अप्रार्थीगण द्वारा आपस में मिली भगत कर षडयंत्रपूर्वक तरीके से जानबूझकर खुले तौर पर स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है जिसके लिए दोषी अप्रार्थीगण जिम्मेदार है जिन्हें नियमानुसार सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार

कर अप्रार्थीगण को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने से दण्डित किया जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को है तथा माननीय न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त आदेश की अवहेलना हेतु प्रार्थना पत्र केवल विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है । अपीलीय न्यायालय को आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । प्रदर्श– 1 से स्पष्ट है कि अंतरिम आदेश केवल डिक्री की पालना के रोक पर था तथा डिक्री की पालना पहले ही हो चुकी थी । केवल डिक्री की पालना पर रोक थी विक्रय पर रोक नहीं थी । इसीलिए प्रार्थी ने डिक्री की पालना का नामान्तरकरण पेश नहीं किया । इन्होंने ये भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया कि ये प्रार्थना पत्र अधिनियम की किस धारा के तहत आए हैं । किस धारा का उल्लंघन हुआ है । स्वयं प्रार्थी किशन लाल ने जिरह में माना कि बेचान पर कोई रोक नहीं है । अतः यह प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है । मैने कभी नामान्तरकरण के लिए आवेदन भी नहीं किया । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं प्रार्थी के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपील संख्या 15/15 में वउनवान किशनलाल बनाम शीतल प्रसाद मीणा में दिनांक 27.01.2015 को जारी स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, नकल नामान्तरकरण संख्या 722 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 2 प्रस्तुत किये हैं । प्रदर्श– 1 में A से B कियात्मक अदेश अंकित किया गया है, जो इस प्रकार से है, "अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2014 एंव अंतिम डिक्री दिनांक 02.01.2015 की पालना आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.02.2015 तक स्थगित रखी जाती है ।" उक्त आदेश से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा का आदेश प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2014 व अंतिम डिक्री दिनांक 02.01.2015 की पालना आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.02.2015 तक स्थगित रखी गई थी । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि उक्त आदेश के पश्चात् प्रकरण में प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री की पालना की गई हो । प्रार्थी ने ऐसी कोई जमाबन्दी भी प्रस्तुत नहीं की जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत डिक्री की पालना उक्त आदेश के पश्चात् की गई हो । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को इसकी जानकारी कब हुई, थी ? जानकारी हुई अथवा नहीं यह पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं होता है । प्रार्थी किशनलाल ने स्वयं की जिरह में कथन किया है कि, "प्रदर्श–1 A से B भाग में बेचान व हस्तान्तरण पर रोक का आदेश नहीं है ।" आगे जिरह में कथन किया है कि, "मुझे पता नहीं है कि अंतिम डिक्री के आधार पर नामान्तरण न्यायालय हाजा के प्रदर्श–1 आदेश से पूर्व ही खुल

गया है । इसलिए मेने नामान्तरकरण की प्रति पेश नहीं की ।" स्वयं प्रार्थी किशनलाल के उक्त कथनों से सिद्ध है कि वह भी A से B भाग में बेचान व हस्तान्तरण करने पर कोई रोक का अदेश नहीं है । अप्रार्थी कम 2 व 3 को भी प्रश्नगत आदेश की जानकारी को साबित करने का भार प्रार्थी पर है, परन्तु हमारे समक्ष इस सम्बन्ध में कोई ठोस लिखित या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए । हम विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि डिकी का नामान्तरकरण कब खुला इसे डिफेन्स में अप्रार्थी पेश करते । प्रार्थी को अपने कथन स्वयं साबित करने होते हैं । प्रार्थी ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाए जिसमें नामान्तरकरण हेतु अप्रार्थी संख्या 01 ने आवेदन किया हो । अतः प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को तथ्यों एवं विधि के अनुसार साबित करने में असफल रहे । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा